चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 06.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 06.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा गर्दी करने वाले 13 अभियुक्तों के विरुद्ध मिनी गुण्डा की कार्यवाही की गयी।

(i). प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा अभियुक्त 1. चुन्नू प्रसाद पुत्र स्व0 भगवानदीन निवासी कैम्प का पुरवा डिलौरा 2. रामहित 3. रामगोपाल पुत्रगण शीतल प्रसाद 4. अमर सिंह पुत्र छेदीलाल 5. सत्यरुप पुत्र रामेश्वर 6. नवल किशोर 7. दयाराम पुत्रगण रामेश्वर यादव निवासीगण नारायणपुर 8.दिवाकर पुत्र रामचन्द्र 9. महेश रैक्वार पुत्र बृजमोहन 10. बब्बू पुत्र भानू रैक्वार निवसागीण गोल तालाब थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(ii). थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह द्वारा अभियुक्त 1. अभिषेक उर्फ छोटू 2. कल्लू उर्फ राजा यादव पुत्र विष्णु यादव निवासीगण चुनकावन का पुरवा मजरा पुराना बहिलपुरवा 3. ललित उर्फ लल्लू पुत्र गुलाब सिंह निवासी ऐंचवारा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अवैध निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री इमरान खान तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त गजराज पुत्र प्रेंम निवासी बिलासपुर मजरा खटवारा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 22 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

बरामदगी

22 क्वार्टर देशी शराब

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री इमरान खान थाना राजापुर

2.आरक्षी शुभम मिश्रा

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकार राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेंद्र चन्द्र पांडेय द्वारा डकैती की घटना करित करने वाले 08 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी तथा जिनमें से 04 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है।

उल्लेखनीय की दिनांक 05.08.2022 को शाम 7:00 बजे श्री हिमांशु सोनी पुत्र श्री हरिमोहन सोनी निवासी सुनहरी मोहल्ला तुलसी मंदिर रोड कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट अपनी रामनगर स्थित सोने-चांदी के आभूषणों की दुकान बंद करके राजापुर जा रहे थे कि नुनमई पुलिया के पास अज्ञात अभियुक्तों ने उनके सोने-चांदी के जेवरात व नगदी तथा अन्य कागजात लूट लिए थे, इसके संबंध में थाना रैपुरा में मु0अ0सं 144/2022 धारा 394 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना से 08 अभियुक्त प्रकाश में आए। दिनांक 09.08.2022 को अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सोने-चांदी के जेवरात नगदी व कागजात बरामद हुए थे, जिसके आधार पर मु0अ0सं0 144/2022 में धारा 394 भादवि0 का लोप करते हुये धारा 395,411 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी। अभियुक्तों द्वारा डकैती की घटना की गई जिसके आधार पर अभियुक्त 1.सत्यम गुप्ता पुत्र मुन्ना गुप्ता निवासी कृष्णा नगर बबेरू जनपद बांदा 2.अजय कुशवाहा पुत्र राज बहादुर कुशवाह निवासी प्रभाकर नगर कस्बा व थाना बबेरू जनपद बांदा 3. शैलेंद्र सिंह उर्फ साहिल पुत्र स्वर्गीय महाजगबंदन सिंह निवासी मनोरथ थोक सुंदर कुआं कस्बा व थाना बबेरू जनपद बांदा 4. अमित साहू पुत्र गणेश साहू निवासी दूल थोक कस्बा व थाना बबेरू जनपद बांदा 5. मुकेश पाल पुत्र रामदास निवासी झील का पुरवा कोतवाली नगर बांदा जनपद बांदा 6. संजू सिंह उर्फ युवराज सिंह पुत्र मुन्नका सिंह उर्फ अशोक सिंह निवासी कृष्ण नगर कस्बा व थाना बबेरू जनपद बांदा 7. सचिन यादव पुत्र छोटेलाल निवासी जरैली कोठी कोतवाली नगर जनपद बांदा 8.अनूप सविता पुत्र चुनवाद निवासी कृष्ण नगर कस्बा व थाना बबेरू जनपद बांदा के विरुद्ध थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय द्वारा थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 60/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। थानाध्यक्ष रैपुरा एवं उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए गैंगस्टर के आरोपी अभियुक्त संजू सिंह उर्फ युवराज सिंह शैलेंद्र सिंह उर्फ साहिल अमित साहू पुत्र गणेश साहू सचिन यादव उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय

2.उ0नि0 श्री रविकान्त राय

3.उ0नि0 श्री अब्दुल खलील

4.आरक्षी नन्हे यादव

5.आरक्षी अंकित शुक्ला

6.आरक्षी अश्विनी

7.आरक्षी राममूरत मिश्रा

8.आरक्षी अजीत यादव8.आरक्षी अजीत यादव

(6).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगडे को समाप्त कराकर 01 परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया ।

आवेदिका श्रीमती अंजू देवी पत्नी चुन्नालाल निवासी बघौंड़ा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा अपने पति, सास-ससुर के विरुद्ध लड़ाई-झगड़ा, मारपीट व दहेज के लिये प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया । पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी, महिला आरक्षी शिवांगनी श्रीवास्तव द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया । दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी । आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

<u>समझौता कराने वाली टीमः-</u>

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी
2.महिला आरक्षी शिवांगनी श्रीवास्तव

(7).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में प्रभारी यातायात श्री शैलेन्द्र सिंह द्वारा वाहन चेकिंग अभियान में यातायात नियमों का उल्लघंन कर यात्रा करने वाले बिना लाइसेन्स,बिना हेलमेट एवं मोटरसाइकिल पर चालक सहित 5 लोग सवार थे जिस पर प्रभारी यातायात द्वारा कुल 17000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया एवं मोटरसाइकिल को सीज किया गया।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध खनिज परिवहन की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जय करन सिंह के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक मऊ एवं खनिज इंस्पेक्टर श्री मंटु कुमार सिंह की संयुक्त की टीम ने कस्बा मऊ में चेंकिग के दौरान बिना रवन्ना, मोरम से लदे ओवरलोड 06 ट्रकों को सीज किया गया। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल द्वारा चेकिंग के दौरान 01 ट्रक को बिना कागजात एवं फॉल्टी नम्बर प्लेट के पाए जाने पर सीज किया गया।

सोमवती अमावस्या मेला के दृष्टिगत आईजी जोन प्रयागराज श्री प्रेम गौतम द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में बरहा के हनुमान मंदिर, जलेबी वाली गली ,परिक्रमा मार्ग, रामघाट एवं मेला क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया इस दौरान द्वारा मेले से जुड़ी समस्त पार्किंग व्यवस्था, परिकर्मा मार्ग में श्रद्धालुओं की सुविधा, रामघाट पर मंदाकिनी नदी में सुरक्षा के प्रावधान आदि बिन्दुओं पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को विस्तृत दिशा - निर्देश दिए गए।

भ्रमण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी,क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह , प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह उपस्थित रहे ।

(8).आज दिनांक 06.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी नोडल अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की उपस्थिति में सोमवती अमावस्या मेला हेतु डियूटी में लगने वाले अधि0/कर्मचारीगणों की ब्रीफिंग की गयी । ब्रीफिंग के दौरान बाह्य जनपदों से आये पुलिस बल तथा जनपद चित्रकूट के पुलिस बल को अमावस्या मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने हेतु निर्देशित किया गया । सभी अपने-अपने डियूटी पॉइन्ट पर समय से पहुंचेगें तथा सतर्क रहकर ड्यूटी चार्ट के मुताबिक डियूटी करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये । डियूटी के दौरान सभी श्रद्धालुओं से नम्रतापूर्वक व्यवहार करें तथा डियूटी के दौरान कोई भी समस्या होती है तो अपने लाइजनिंग अफसर को अवगत कराते हुये उच्चाधिकारियों को सूचना दें ।

मेला डियूटी हेतु बाह्य जनपदों से कुल 04 पुलिस उपाधीक्षक, 14 निरीक्षक, 60 उपनिरीक्षक,04 महिला उ0नि0,190 मुख्य आरक्षी/आरक्षी,15 यातायात मुख्य आरक्षी/आरक्षी, 02 उपनिरीक्षक एलआईयू, 10 मुख्य आरक्षी/आरक्षी एलआईयू,फायर टैंकर 02, 02 प्लाटून पीएसी,01 प्लाटून फ्लड एलआईयू पीएसी व 01 एएस चेक टीम तथा जनपद चित्रकूट के 03 क्षेत्राधिकारी, 10 प्रभारी निरीक्षक, 15 निरीक्षक,51 उपनिरीक्षक, 125 मुख्य आरक्षी/आरक्षी, 56 महिला आरक्षी,02 उपनिरीक्षक यातायात, 23 मुख्य आरक्षी/आरक्षी यातायात, 01 उपनिरीक्षक एलआईयू, 08 मुख्य आरक्षी/आरक्षी एलआईयू व , 02 फायर टैंकर ,02 डॉग स्क्वायड टीम की डियूटी लगायी गयी है।

ब्रीफिंग के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री नगर श्री राजकमल एवं समस्त थाना/चौकी प्रभारी एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(9).श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश कुमार मौर्या एवं पैरोकार आरक्षी हरेन्द्र कुमार की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ सुश्री संघमित्रा द्वारा थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 64/2018 धारा 363 भादवि0 के आरोपी अभियुक्ता सरिता देवी उर्फ मुन्नू पुत्री रामसेवक उर्फ बमबम निवासी बरगढ़ थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।